UPBJ010116042023

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती शैला, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP6267

विशेष सत्रवाद संख्याः– 2232/2023
सरकार बनाम रणवीर सिंह

धाराः– 136(1)(क) विद्युत अधिनियम,
एवं धारा 427 भा0दं0सं0
थानाः– चांदपुर जिला बिजनौर।
मुकदमा अपराध संख्याः– 637/2023

29–08–2024

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त **रणवीर सिंह** जमानत पर न्यायालय उपस्थित आया।

पत्रावली आज आरोप विरचन हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को आरोप के प्रश्न पर सुना तथा पत्रचावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य तथा केस डायरी से मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्व **धारा 136(1)(क) विद्युत अधिनियम एवं धारा 427 भा0दं0सं0** का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनता प्रतीत हो रहा है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध तदनुसार आरोप विरचित किया जाये।

(शैला)
दिनांकः– 29–08–2024 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।

तदनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक **09–09–2024** को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(शैला)
दिनांकः– 29–08–2024 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।

Digitally signed by SHAILA
Date: 2024.08.29 17:20:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती शैला, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP6267

विशेष सत्रवाद संख्याः– 2232/2023
सरकार बनाम रणवीर सिंह

धाराः– 136(1)(क) विद्युत अधिनियम,
एवं धारा 427 भा0दं0सं0
थानाः– चांदपुर जिला बिजनौर।
मुकदमा अपराध संख्याः– 637/2023

आरोप

मैं, शैला, विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट), बिजनौर आप अभियुक्त **रणवीर सिंह** को निम्नवत् आरोपित करती हूं–

प्रथमतः–

यह कि दिनांक व समय अदम तहरीर बहद जंगल ग्राम मिर्जापुर बकैना थाना चांदपुर जिला बिजनौर के अन्तर्गत उपभोक्ता नरेश के निजी नलकूप के संयोजन का केबिल आपने चोरी कर लिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है, जो **धारा 136(1)(क) विद्युत अधिनियम** के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपभोक्ता नरेश के निजी नलकूप के संयोजन का केबिल आपने खुर्द–बुर्द कर क्षति पहुंचाई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है, जो **धारा 427 भा0दं0सं0** के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(शैला)
दिनांकः– 29–08–2024 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण का दावा किया।

(शैला)
दिनांकः– 29–08–2024 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।